उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 12 /2021/1927 /92-2-21-05जांच/19

लखनऊ:: दिनांक 09 फरवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-अम्बेडकर नगर के कार्यकाल में उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधान, उपप्रधान एवं सदस्यो को हटाये जाने संबंधी) नियमावली,1997 के अनुसार ग्राम प्रधान के विरूद्व कार्यवाही की शक्ति का अधिकार राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट में निहित होने के क्रम में जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर ब्लाक-रामनगर की ग्राम पंचायत हुसैनपुर मुसलमान के ग्राम प्रधान के विरूद्व उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम,1947 की धारा-95 (1) (जी) के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर के आदेश दिनांक 14-03-2018 द्वारा जॉच हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अम्बेडकर नगर को पदेन जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश के उपरांत लगभग 08 माह तक अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर के पद पर कार्यरत रहने के बावजूद भी श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच लखनऊ में रिट याचिका सं0-7990(एम/ एस)/2018 श्रीमती शम्स कमर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पडा। इस प्रकार श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई को उनके पदीय दायित्वों का निर्वहन न किये जाने हेतु शासन के पत्र दि0 11-12-2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्री गुप्ता ने अपने पत्र दिनांक 20-03-2020 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया।

2- प्रश्नगत प्रकरण में श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दि0 20-03-2020 के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री गुप्ता द्वारा अपने 08 माह के कार्यकाल में जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर के आदेश दिनांक 14-03-2018 का अनुपालन नहीं किया गया, अतएव शासन के स्पष्टीकरण दिनांक 11-12-2019 द्वारा श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत मॉगे गये स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-09-2020 द्वारा श्री गुप्ता को निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये प्रकरण को समाप्त किया गया :-

> "श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर के आदेश दिनांक 14-03-2018 का 08 माह तक अनुपालन न करने के कृत्य के लिये श्री गुप्ता को परिनिन्दित किया जाता है।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- शासन के उपरोक्त दण्ड दिनांक 11-09-2019 के विरूद्ध श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई के पत्रांक-551/कैम्प/ग्रा0अ0वि0/व्य0प0/ 2020-21 दिनांक 03-10-2020 द्वारा शासन में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुये निम्नवत अवगत कराया गया :-

"जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर के पत्र संख्या-6079 दिनांक 14-03-2018 के द्वारा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर को जॉच हेतु निर्देश दिये गये। श्री गुप्ता ने अम्बेडकर नगर प्रखण्ड में दि0 20-07-2018 को (अर्थात चार माह उपरांत) योगदान दिया इन चार माह में श्री गुप्ता से पूर्व तत्समय अधिशासी अभियंता के समक्ष आशुलिपिक को जॉच की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। लेकिन जॉच लिपिक (आशुलिपिक) व अधिशासी अभियंता, श्री टी0एन0 सिंह द्वारा संम्भवत: कोई भी कार्यवाही नही की गयी। दि0 20-07-2018 के उपरांत जनवरी 2019 तक आशुलिपिक ने जो भी जॉच प्रकरण प्रस्तुत किये अथवा श्री गुप्ता के संज्ञान में आने पर प्रभावी कार्यवाही की गई। जिलाधिकारी द्वारा माह मार्च 2018 में सौपी गयी जॉच पर आशुलिपिक द्वारा न तो उनसे पूर्व अधिकारी से कार्यवाही करायी और न ही उन्हें अग्रिम कार्यवाही के लिये प्रस्तुत किया। लगभग चार माह पूर्व प्राप्त प्रकरण को आशुलिपिक के द्वारा उनके सामने न तो संज्ञानित किया गया, और न ही समय पर प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें दण्डित किया जाना न्यायोचित नही है। वास्तविकता यह है अनेको लम्बित प्रकरणों के बारे में अन्य विभागों व मीटिगों से सूचना प्राप्त होने पर आशुलिपिक से पत्रावली मंगाकर निस्तारित किये गये। इस प्रकरण के अतिरिक्त उनकी जानकारी में जो भी संदर्भ आये उन पर प्रभावी कार्यवाही की गयी। संम्भवत: तत्समय अधिशासी अभियंता एवं अन्य द्वारा प्रकरण को देखा गया होगा, तथा आशुलिपिक की घनघोर लापरवाही से प्रकरण पर कोई पत्राचार नहीं किया गया। आशुलिपिक की लापरवाह कार्यशैली के कारण ही माह जुलाई 2019 में वर्ष 2018-19 की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि निम्नानुसार टिप्पणी के साथ खराब लिखी गई थी।

"उक्त अवधि में रामतेज आशुलिपिक द्वारा अपने पटल से संबंधित प्रकरणों को समय से निष्पादन में रूचि नही ली गयी। उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन तथा मुख्यालय/जिले से प्राप्त विभिन्न प्रकरणों को निपटाने में लापरवाही बरती गयी।"

उनके द्वारा पूर्व में दर्शायी गयी एवं वर्तमान में दर्शाये गये तथ्यों/साक्ष्यों से स्वत: स्पष्ट हो जाता है कि आशुलिपिक/पटल सहायक द्वारा प्रकरण को समय-समय पर पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया जाता तो अवश्य ही अन्य जॉचो की भांति इस प्रकरण का भी तत्समय निष्पादित कर दिया जाता। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संबंधित पटल सहायक द्वारा न तो अपचारी अधिकारी से और न ही उनके पूर्व अधिकारी से प्रभावी कार्यवाही न कराये जाने के फलस्वरूप प्रकरण के निस्तारण न होने पर कार्यालय अध्यक्ष को दोषी मानते हुये परिनिन्दित किया जाना तर्कसंगत उचित नही है। कार्यालयों में विभिन्न पटलों से भिन्न-भिन्न प्रकरण प्रस्तुत होते है, तथा उनका निस्तारण भी समय पर किया जाता रहा है। उनके योगदान से चार माह पूर्व कार्यकाल के इस प्रकरण के निस्तारण पर विलम्ब के लिये श्री गुप्ता को परिनिन्दित किया जाना न्यायोचित नही है। उनके साथ इस जॉच में पक्षपातपूर्वक कार्यवाही की गयी जिस कारण मानसिक रूप से व्यथित है।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता के प्रत्यावेदन दिनांक 03-10-2020 एवं प्रश्नगत प्रकरण के गहन परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दि0 03-10-2020 में किसी ऐसे तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-104/ 20/1495/92-2-20-05जॉच/2019 दिनांक 11-09-2020 द्वारा श्री एस0के0 गुप्ता को दिये गये परिनिन्दा के दण्ड को परिवर्तित किया जा सके। अतएव सम्यक विचारोपरांत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-104/2020/1495/92-2-19-05जांच/2019 दिनांक 11-09-2020 के विरूद्ध श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 03-10-2020 को बलहीन होने के कारण एतदद्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-12 /2021/1927(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।